न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/86/18	02–07–2018	14–08–2018

01. रामनरेश गुर्जर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल गुर्जर निवासी ग्राम निभोर, उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत अनंतपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 22–02–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1352/2005

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22–02–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1352/2005 निलम्बित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निलम्बित किया है। जिला रसद अधिकारी का प्राधिकार निलम्बर आदेश केवल 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। लेकिन दिनांक 21–05–2018 तक भी अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत अनंतपुरा में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा 1/2 भाग का संचालित करता है जिसका प्राधिकार पत्र जारी से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20–02–2018 को जांच की गई उस समय उचित मूल्य सामग्री का स्टॉक पूरा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र व दुकान के नक्शा को वक्त जांच उपलब्ध नही कराने बाबत जो तथ्य जांच रिपोर्ट में दर्ज किये है वो मिथ्या है, अपीलान्ट द्वारा वक्त जांच इस बाबत अवगत करा दिया कि नक्शा परिवर्तन हेतु असल प्राधिकार पत्र एवं स्वीकृत नक्शा नायब तहसीलदार बहरोड के कार्यालय में जमा है इस तथ्य का अंकन फर्द मौका में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दर्ज भी किया गया है। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा जारी नोटिस संख्या 2924 दिनांक 14–03–2018 का अपीलान्ट को प्राप्त हुआ था जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब दिनांक 16–03–2018 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलान्ट पर गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप विरचित किये गये थे वो गंभीर प्रकृति के नही थे। प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे। कानूनन 90 दिनों के पश्चात् निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहान हो जाना चाहिये था, केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है, इस बाबत श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाघ नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02–09–2008 एवं 07–07–2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। लेकिन जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण पांच माह व्यतीत हो जाने के बावंजूद अभी तक नही किया गया है। Raj. Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. Of Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 क्लॉज 2 के अनुसार " No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonanble opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of station his case." जिला रसद अधिकारी अलवर के यहॉ अपीलान्ट के विरूद्व किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है। जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा में अपीलीय आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट के विरूद्व उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है, तथा सभी उपभोक्ता अपीलान्ट के वितरण कार्य से संतुष्ट है। अपीलान्ट के विरूद्व आपसी रंजिशवश की गई है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। दिनांक 21–05–2018 तक अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नही किया था दिनांक 11–06–2018 को जिला रसद अधिकारी, अलवर ने यह कहा कि वो अपीलान्ट के केस का फैसला नही करेंगें जिस कारण से आलोच्य आदेश 26–02–2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन है कि आलोच्य आदेश 22–02–2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाते हुए अपील अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। वक्त जांच दुकानदार द्वारा मूल प्राधिकार पत्र एवं नक्शा मौका प्रस्तुत नही किया गया। दुकान के नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची एवं सामग्री का प्रदर्शन नहीं पाया गया, केरोसिन का भौतिक स्टॉक का सत्यापन करने पर 3080 लीटर केरोसीन, एवं 18 किग्रा गेहूँ, अधिक पाया गया व 1 किग्रा चीनी कम पाई गई। मौके पर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जिस पर मौजूदा व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गयें। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 22–02–2018 के विरूद्ध दिनांक 26–06–2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 11–06–2018 होना जाहिर किया है। रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 22–02–2018 को निलंबित किया और अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16–03–2018 को जवाब नोटिस तहत अदालत में पेंश किया गया, किन्तु तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के जवाब नोटिस पर गौर नहीं करते हुए प्रकरण में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र की जांच को अनावश्यक विलम्ब रखा गया। साथ ही अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र के निलम्बन को 90 दिन से अधिक हो चुका है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथा सम्भव एक माह में गुणावगुण के आधर पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली

तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14–08–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)